

कार्यालय, कलेक्टर (आदिवासी विकास शाखा) जिला-महासमुन्द(छ.ग.)

Email ID :-pms.mahasamund@gmail.com Phon/Fax No- 07723-223912

क्रमांक /1020 /आदि.वि./अ.स.छा./2020-21
प्रति,

महासमुन्द, दिनांक 23 / 09 / 2020

1. सर्व प्राचार्य,
शा0/अशास0-महाविद्यालय.....
जिला-महासमुन्द (छ0ग0)
2. सर्व प्राचार्य,
शा0/अशास0-उ0मा0वि0/हाई स्कूल
जिला-महासमुन्द (छ0ग0)
3. सर्व प्रधानपाठक,
शा0/अशास0-माध्यमिक/प्राथमिक शाला
जिला-महासमुन्द (छ0ग0)


विषय :- अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों की योजना प्री./पोस्ट मैट्रिक/मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति वर्ष 2020-21 बाबत।
संदर्भ :- आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर का पत्र क्र0-असंछा/पो.मै./न.क.-02/19-20/4397 रायपुर दिनांक 21.09.20

---000---

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2020-21 के अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति (प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं मेरिट सह साधन) का लाभ देने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित छः अल्पसंख्यक समुदायों (जैन, बौद्ध, सिक्ख, पारसी, मुस्लिम, ईसाई) से संबंधित छात्रों को अवसर प्रदान करता है। "छत्तीसगढ़ शासन" आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, विभाग, राज्य सरकार उपर्युक्त योजनाओं के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दी गई उपर्युक्त छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित करने हेतु समय सीमा निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:-

क्र.	योजना का नाम	ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि	संस्था द्वारा Verification की अंतिम तिथि
1	प्री0 मैट्रिक छात्रवृत्ति	31-10-2020	15-11-2020
2	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	31-10-2020	15-11-2020
3	मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति	31-10-2020	15-11-2020

टीप :- विस्तृत जानकारी के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in पर जाएं। समाधान हेल्पलाइन (टोल फ्री) 1800 11 2001 (समय सुबह 9:00 बजे सांय 5:30 बजे तक, सोमवार से शुक्रवार, छुट्टी का दिन छोड़कर)।


23/9/2020

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास महासमुन्द

पृ०क्र. / 102L / आदि.वि. / अ.स.छा. / 2020-21
प्रतिलिपि :-

महासमुन्द, दिनांक 23 / 09 / 2020

1. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनु० जाति विकास, इंद्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर (छ०ग०) को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इंद्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर (छ०ग०) को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. कलेक्टर, जिला-महासमुन्द को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, महासमुन्द को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ संप्रेषित।
5. सर्व वि०खं० शिक्षा अधिकारी, महासमुन्द / बागबाहरा / पिथौरा / बसना एवं सरायपाली, को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ व पालनार्थ।
6. सर्व वि०खं० स्त्रोत समन्वयक, महासमुन्द / बागबाहरा / पिथौरा / बसना एवं सरायपाली, को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ व पालनार्थ।



सहायक आयुक्त

आदिवासी विकास महासमुन्द